संख्या– 287697 XXVII–10/2025–ई–26449/2022

प्रेषक,

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी,
लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

वित्त अनुभाग–10 **देहरादून : दिनांक 01 अप्रैल मार्च, 2025**

विषय :– वित्त विभाग के संख्याकंन/स्वीकृति आदेश हेतु स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन स्तर पर प्रायः यह संज्ञानित हो रहा है कि वित्त विभाग के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश/आदेश/बजट मैनुअल के प्राविधानों (जिसमें अन्यथा वित्त विभाग की सहमति/संख्यांकन अपेक्षित न हो) के आलोक/क्रम में प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्गत आदेशों में निदेशालय, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी द्वारा वित्त विभाग के संख्यांकन/स्वीकृति आदेश संख्या प्राप्त कर पुनः प्रकरणों को प्रत्यावर्तित किया जा रहा है, जिससे उक्त विषयक प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

2– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश कार्य बटवारा नियमावली, 1975 के नियम–04 में अन्तर्विभागीय परामर्श के संबंध में यह व्यवस्था विद्यमान हैं कि (1) जब किसी मामले का विषय एक से अधिक विभाग से सम्बन्धित हो, तो कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं किया जायगा, जब तक कि ऐसे सभी विभागों से सहमति न ले ली गई हो अथवा इस प्रकार सहमति पाने में असफल रहने पर कैबिनेट के द्वारा या प्राधिकार के अधीन उस पर कोई निर्णय न ले लिया गया हो, (2) जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृति करने या निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समावृत न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा यथाः (क) जिसमें राजस्व का परित्याग सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो:, (ख) जिसमें भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अभ्यर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान, पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसे अनुदान के सम्बन्ध में कोई सुविचार का विशेषाधिकार सन्निहित हो, (ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ते या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तो से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित होः या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तो से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित होः या (घ) जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहें उसमें व्यय सन्निहित हो या नही, प्रतिबंध यह है कि वित्त विभाग के सम्बन्ध में खण्ड–ग में विनिर्दिष्ट प्रकार का कोई भी आदेश कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं किया जायेगा।

3– अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में इस संबंध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है :–

1. यदि शासन के किसी आदेश में वित्त विभाग के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश/आदेश/बजट मैनुअल (जिसमें अन्यथा वित्त विभाग की सहमति/संख्याकंन अपेक्षित न हो) के प्राविधानों में प्रशासनिक विभागो को अपने स्तर से कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया हैं अथवा प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त के आलोक/क्रम में आदेश निर्गत किये गये हैं, तो ऐसे आदेशों में पृथक से वित्त विभाग के स्वीकृति आदेश/संख्यांकन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है। तद्नुसार भविष्य में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाया। जहॉ वित्त विभाग की सहमति/संख्यांकन की अनिवार्यता आवश्यक हो वहॉ यह दिशा–निर्देश प्रभावी नही होंगे।

2. कार्य बटवारा नियमावली, 1975/सचिवालय अनुदेश, 1982/अन्य संगत अधिनियम/नियम/आदेश, जिसके अनुसार किसी प्रकरण में वित्त विभाग का परामर्श/सहमति आवश्यक है, वहाँ प्रशासनिक विभाग के आदेश में वित्त विभाग की सहमति एवं संख्यांकन अनिवार्य होगा।

3. जहाँ वित्त विभाग द्वारा सम्यक आदेश से किसी विषय/प्राधिकार को प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिहित कर दिया गया हैं, वहां उस संगत आदेश का अपने आदेश में उल्लेख करते हुए प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से आदेश कर सकते है एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सहमति/संख्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. नीतिगत/वित्तीय उपाशय से भिन्न अन्य प्रकरणों (जैसे कार्मिक को प्रतिनियुक्ति/अन्य सेवायोजन/अध्ययन अवकाश आदि के संबंध में विभागीय अनापत्ति प्रदान करने के प्रकरण, विभिन्न प्रशासकीय निर्णय आदि) में जहां प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श/सहमति की अपेक्षा की जाती है किन्तु यथा नियम, वित्त विभाग के परामर्श/सहमति की आवश्यकता नहीं है एवं वित्त/परामर्शी विभागों के परामर्श के आलोक में प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, वहां भी उनके आदेश में वित्त विभाग के सहमति का उल्लेख/संख्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

Signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 01-04-2025 15:12:23

(डा0वी0षणमुगम)
सचिव।

सख्या–287697/ XXVII–10 / 2025–ई–26449 / 2022, तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरि0 निजी सचिव, सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– वरि0 निजी सचिव–मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मंजी जी के संज्ञानार्थ।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्र0), उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डालायुक्त, कुमॉऊ/गढवाल मण्डल।
6– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Vijay Kumar
Date: 01-04-2025 15:37:31

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव